राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : एफ–30/राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक/2016/1021 दिनांक : 28.10.16

परिपत्र – 19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी
(अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर,)

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
(अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर,)

जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक
(अलवर, बांसवाडा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर,)

विषयः– पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को भ्रूण लिंग जॉच हेतु राज्य से बाहर ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य की पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा लगभग एक वर्ष से लगातार मुखबिरों की सूचना पर कार्यवाही की जा रही है तथा प्राप्त सूचना के आधार पर अनेक डिकॉय ऑपरेशन किये गये है। इस कडी में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके जिले के सीमावर्ती गॉवों में कुछ तथाकथित "दलालों" के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को राज्य से बाहर ले जाने का अंदेशा है तथा वहॉ उनके गर्भ के शिशु का लिंग जॉच करवाकर अवैध रूप से गर्भपात भी करवाया जा सकता है।

अतः इसे खत्म अथवा कम करने पर रोक लगाने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेस का आयोजन दिनांक 27.10.2016 को किया गया, जिसमें संबंधित को उचित कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया था। पुनः इस संबंध में आपको परिपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. सभी जिलों के संदेहास्पद दस गांव में एक या अधिक व्यक्तियों को मुखबिर के रुप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे जो दलालों के लिए असुरक्षा व घृणा का वातावरण बनाएंगे।
2. गांवो में चौपाल, जनसभा व शुक्रवार को लगने वाले जनकल्याण शिविर में सम्पूर्ण पीसीपीएनडीटी अधिनियम, मुखबिर योजना व सजा के प्रावधानों की भी आवश्यक रुप से जानकारी देगें।
3. जिला आशा समन्वक/बीएचएस/पीएचएस, आशा सहयोगिनी को उन्हें दलालों पर शिकंजा कसने के लिये प्रेरित करेगें व सूचना देने हेतु कहेंगे।
4. PCTS Software के पिछलें दो वर्षों के डाटा का एनालिसिस करके पता लगाऐगें कि Abortion, Miscarrige etc. कहां व किस कारण से हुए हैं। कहीं इनका कारण भ्रूण लिंग परीक्षण तो नहीं है। इस संबंध में शालीनता/गोपनीयता का ध्यान रखें।

5. प्राईवेट टेक्सी व प्राइवेट एम्बुलेन्स जो गर्भवती महिलाओं को जांच हेतु सीमावर्ती राज्यों मे लेकर जा रहें हैं ऐसे सभी वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेगें।
6. भ्रूण लिंग परीक्षण में संलिप्त दलालों के सम्पर्क में आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
7. ऐसे सभी व्यक्तियों (राजकीय/निजी/सेवानिवृत चिकित्सकों/नर्सों सहित) का पता लगाएगें जिनके द्वारा गर्भवती महिला को सीमावर्ती राज्यों में सोनोग्राफी करवाने भेजा जाता है।
8. ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, दो या अधिक लड़कियां है व प्रथम तिमाही में सोनोग्राफी करवाती है उनकी आवश्यक रुप से ट्रेकिंग की जाए। यह कार्य करने के लिये पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके हैं।
9. सभी व्यक्तियों की आवश्यक रुप से इस हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। समस्त एनएचएम स्टाफ को भी मुखबिर योजना से जुडने पर दो लाख रुपये तक की ईनाम राशि मिल सकती है, यह भी बतायें।
10. अखबारों, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(नवीन जैन)
राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी)एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला (अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर)
2. खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक जिला (अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर)
3. ब्लाक हैल्थ सुपरवाईजर जिला (अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाड़मेर, चितौड़गढ, चुरु, धोलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द,सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही,श्रीगंगानगर उदयपुर)
4. प्रभारी सर्वर रूम को ई–मेल हेतु।

राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी)एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम